

22.09.2017

थाना प्रभारी मौ की ओर से प्रकरण क्रमांक 74/17 विद्युत में जारी गिरफ्तारी वारंट के पालन में आरोपी कल्यान सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर पेश किया गया। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी का जेल वारंट बनाकर उपजेल गोहद भेजा जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
विशेष न्यायाधीश विद्युत

पुनश्च:

इसी समय आरोपी की ओर से अधि. श्री के.पी राठौर द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. पेश किया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी। उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी कल्यान के विरुद्ध परिवादी कंपनी द्वारा धारा 138 के तहत उर्जा चोरी की राशि 40608 की वसूली हेतु यह परिवाद पेश किया गया है आरोपी की ओर से आवेदन में निवेदन किया गया है कि परिवादी द्वारा झूठा अपराध लगाकर परिवाद पेश किया है। उसे जमानत का लाभ दिया जावे। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता आवेदन में उल्लेखित तथ्य एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी प्रत्येक पेशी पर उपस्थित होने बावत् रुपए 15000 की सक्षम जमानत एवं समान राशि का मुचलका पेश करने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे। प्रकरण पूर्ववत् दिनांक 03.11.17 को आरोप तर्क हेतु पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत
विशेष न्यायाधीश विद्युत